भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2159

06.08.2026 को उत्तर के लिए

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

2159 **श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों के निकट स्थित शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) क्या उन क्लस्टरों हेतु संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किए गए हैं जहां ताप विद्युत संयंत्र, तेल शोधन संयंत्र, रासायनिक इकाइयों और डीजल-आधारित सुविधाएं अन्य प्रदूषणकारी उद्योगों के साथ-साथ संचालित होती हैं;

(ग) क्या सरकार विशेष रूप से पुरानी इकाइयों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंड, निरंतर निगरानी प्रणालियां और उत्सर्जन संबंधी आंकड़ों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने का प्रस्ताव करती है; और

(घ) अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक क्लस्टर क्षेत्रों में पर्यावरणीय शमन एवं जनस्वास्थ्य संरक्षण के लिए क्या कोई उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार, अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं या कार्यकलापों के साथ-साथ अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध वर्तमान परियोजनाओं या कार्यकलापों के विस्तार, आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण या कच्चे माल के मिश्रण में किसी भी परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूची में संबंधित क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से क्षमता अधिक हो जाती है, के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना अपेक्षित है। तदनुसार, ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची की मद संख्या 1 (घ) में उल्लिखित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित है। किसी भी परियोजना/कार्यकलाप के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया में, अन्य बातों के अलावा, एक व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, जिसमें परियोजना से संबंधित सभी समस्याओं

का समाधान किया जाता है, जिसमें परिवेशी वायु गुणवत्ता, पर प्रभाव जल पर्यावरण और अपशिष्ट सृजन शामिल है। ईआईए रिपोर्ट का क्षेत्र विशेषज्ञों से बनी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा गहन मूल्यांकन किया जाता है और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करते समय परियोजना से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाते हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी), जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत सहमति तंत्र के माध्यम से, प्रदूषण नियंत्रण उपाय निर्धारित करके और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की निगरानी करके उद्योगों की स्थापना और संचालन के साथ-साथ प्रदूषणकारी गतिविधियों की निगरानी करती हैं। उपचार सुविधाओं की पर्याप्तता और प्रदर्शन का आकलन करने और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ) में निर्धारित निस्सारण शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट, जिसमें सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईआरआई), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस) के अध्ययनों/रिपोर्टों, थर्मल पावर प्लांटों (टीपीपी) पर विभिन्न रिपोर्टों और प्रकाशनों, जिनमें स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों यदि कोई हो, के अध्ययन और टीपीपी से होने वाले उत्सर्जन और परिवेशी वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव से संबंधित डेटाबेस शामिल हैं, के अनुसार, देश के अधिकांश क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) के भीतर है।

स्व-नियमन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों, जिनमें टीपीपी भी शामिल हैं, के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करना अनिवार्य किया गया है। यह प्रणाली एसपीसीबी/पीसीसी और सीपीसीबी के सर्वर से जुडकर वास्तविक समय में निगरानी और चेतावनी प्रदान करती है। ओसीईएमएस का डेटा सीपीसीबी की वेबसाइट https://cems.cpcb.gov.in/ पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। मंत्रालय ने दिनांक 11.07.2025 की अधिसूचना के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के टीपीपी के लिए एसओ2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के मानदंडों और समयसीमा को अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएच) के तहत नवंबर 2025 में 'चेस्ट क्लिनिक के माध्यम से वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए सेवाओं का प्रावधान' संबंधी दिशानिर्देश नोट जारी किया और इसमें चिन्हित क्षेत्रों में जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में चेस्ट क्लिनिक की स्थापना निर्दिष्ट की गई है।

*****